IAS GS World PCS
Committed To Excellence
विशिष्ट संपादकीय सारांश
17 जुलाई 2024
द हिन्दू
पेपर- II
(भारतीय राजव्यवस्था)

किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाना इसका समाधन नहीं है

मई में, एक तेज रफ्तार कार, जिसे कथित तौर पर एक किशोर चला रहा था, ने पुणे में दो युवा तकनीशियनों को मार डाला। जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, या जेजे अधिनियम, 2015 द्वारा निर्धारित किया गया है, किशोर को पहले किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष लाया गया था, जिसने उसे उदार शर्तों के तहत जमानत दे दी थी। इस फैसले के साथ ही घटना के दुखद परिणाम और जांच से छेड़छाड़ करने के लिए विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के उभरते आरोपों ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। प्रतिक्रिया के बाद, जेजेबी ने अपने आदेश को संशोधित किया और किशोर को एक सुधार गृह में रखने का निर्देश दिया। इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने उसे इस आधार पर रिहा करने का निर्देश दिया कि उसे उचित प्रक्रिया के अनुसार जमानत दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि जे.जे. अधिनियम "न केवल एक लाभकारी कानून है, बल्कि एक सुधारात्मक कानून भी है।" किशोरों पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा दबाव, शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए किशोर न्याय प्रणाली की शक्ति और युवा अपराधियों से जुड़े मामलों में जवाबदेही की मांग के बारे में व्यापक सवाल उठाता है।

वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना

जेजे अधिनियम 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की संभावना प्रदान करता है, यदि उन पर कोई 'जघन्य' अपराध करने का आरोप है। 'जघन्य' अपराध वह है जिसमें न्यूनतम सजा सात वर्ष या उससे अधिक है। गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से मौत जैसे अपराध, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में आम हैं, 'जघन्य' अपराध नहीं हैं क्योंकि उनके लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है। 2021 में संशोधित जेजे अधिनियम अब ऐसे अपराध को 'गंभीर अपराध' के रूप में वर्गीकृत करता है जिसमें कोई न्यूनतम सजा नहीं है, लेकिन अधिकतम सजा सात वर्ष से अधिक है, जो फिर भी, किसी मामले को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली में स्थानांतरित करने के योग्य नहीं है।

किसी भी मामले में, जब 16 वर्ष से अधिक आयु के किसी किशोर पर 'जघन्य' अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो जेजेबी, एक अर्ध-न्यायिक निकाय, यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करता है कि क्या उन्हें वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यदि यह निष्कर्ष निकालता है कि ऐसी आवश्यकता है, तो किशोर को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से किशोर को वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की उपयुक्तता का आकलन करता है।

ये सुरक्षाएँ इस समझ पर आधारित हैं कि किशोरावस्था एक अस्थायी विकासात्मक अवस्था है, जिसमें अपरिपक्व निर्णय और अविकसित आवेग नियंत्रण की विशेषता होती है। इसे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राजू (2014) में सर्वोच्च न्यायालय और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा मान्यता दी गई है। नतीजतन, किशोर न्याय प्रणाली दंड की तुलना में पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर जोर देती है, यह स्वीकार करते हुए कि किशोर, अपनी उच्च न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण, परिवर्तन के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं।

जवाबदेही की तलाश

फिर भी, किशोर न्याय प्रणाली अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में निहित है। जब किसी किशोर को अपराध करते हुए पाया जाता है, तो जेजे अधिनियम बहु-विषयक जेजेबी को परिस्थितियों और संबंधित किशोर के अनुकूल प्रतिक्रिया तैयार करने का अधिकार देता है। दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अपराधी को संस्थागत बनाया जा सकता है, लेकिन पुनर्वास के स्पष्ट लक्ष्य के साथ। जेजेबी संस्थागतकरण के दौरान और उसके बाद थेरेपी, मनोवैज्ञानिक सहायता और नशामुक्ति जैसे हस्तक्षेपों को निर्धारित

कर सकते हैं। किशोरों के पुनर्वास के लिए उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और अपराध की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जाती है। इस दृष्टिकोण में जवाबदेही और उपचार को बढ़ावा देने की क्षमता है, जिससे न्याय के अवसर पैदा होते हैं जो अक्सर दंडात्मक वयस्क न्याय प्रणाली के कठोर दायरे में अप्राप्य होते हैं।

विशेष रूप से मोटर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों के मामलों में, इंडोनेशिया और अमेरिका में ऐसे अभिनव दृष्टिकोण अपनाए गए हैं जो अपराधियों को अपने पीड़ितों का सामना करने और व्यक्तिगत जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाते हैं। कुछ न्यायालयों में, दोषी नशे में धुत ड्राइवरों को पीड़ितों के रिश्तेदारों के एक पीड़ित प्रभाव पैनल (वीआईपी) का सामना करना पड़ता है, जो बताते हैं कि घटना ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया। केविन थॉम्पसन और सारा जॉयस द्वारा 2022 में जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि उत्तरी डकोटा में वीआईपी के संपर्क में आने वाले अपराधियों में पुनरावृत्ति में कमी आई है। हालाँकि यह जीवन को बदलने वाली घटना को कभी नहीं बदल सकता है, लेकिन यह पीड़ित द्वारा अनुभव किए गए नुकसान और दु:ख को व्यक्तिगत बनाता है और अपराधी को खेद व्यक्त करने का अवसर देता है।

इस तरह की प्रथाएँ पीड़ित और उनके परिवार को न्याय वितरण की प्रक्रिया में केंद्रीय मानती हैं, जबकि पारंपरिक दंड व्यवस्था में पीड़ित को गवाह बना दिया जाता है या राज्य द्वारा अभियोजन की प्रक्रिया अपने हाथ में ले लेने के कारण वह इसमें शामिल ही नहीं होता। वे पीड़ितों की जरूरतों के लिए जगह बनाते हैं, जो मुआवजे से लेकर माफी या स्पष्टीकरण या अपराधी द्वारा जिम्मेदारी स्वीकार करने तक हो सकती हैं। वे किशोरों को साथी मनुष्यों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता के बारे में शिक्षा भी देते हैं, ताकि वे जिम्मेदार वयस्कों के रूप में अपने परिवर्तन को बढ़ावा दे सकें। पीड़ितों या उनके परिवारों का सामना करना अपराधियों के लिए एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। किशोर न्याय प्रणाली की प्रतिक्रियाओं में अपराधी और पीड़ित दोनों के परिवार के सदस्य और समुदाय शामिल हो सकते हैं और इसमें अपराधी के परिवार को परामर्श देना शामिल हो सकता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि अपराध अक्सर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के जटिल अंतर्क्रिया का परिणाम होता है।

हालाँकि, किशोर न्याय प्रणाली की क्षमता अभी भी अधूरी है। किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने से किशोर न्याय प्रणाली के कमजोर क्रियान्वयन की समस्या से बचा जा सकता है। समस्या प्रणाली की कथित नरमी या "दुरुपयोग" में नहीं है, बल्कि इसके मूलभूत सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू करने में विफलता में है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 को ही जे.जे. अधिनियम कहा जाता है।
2. जेजे अधिनियम 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की संभावना प्रदान करता है, यदि उन पर कोई 'जघन्य' अपराध करने का आरोप है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act-

1. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 itself is called the J.J. Act.
2. The JJ Act provides for the possibility of prosecuting juveniles above 16 years of age as adults if they are accused of committing any "heinous" crime.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 & 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Mains Expected Question & Format)

प्रश्न: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें साथ ही इसमें मौजूद खामियों का भी उल्लेख करें।

उत्तर का एप्रोच :

- उत्तर के पहले भाग में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम,2015 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में मौजूद खामियों का भी उल्लेख करें।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत: इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।